उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल

अध्याय VIII, नियम 32 (2) (ख)

मामले का विवरण

निर्णय की तिथिः10 अप्रैल, 2006

प्रथम अपील संख्या 60/ 2004

कुलवंत कौर सिद्धू

पुत्री श्री हरबीर सिद्धू

उर्फ़ हरदित्य सिंह सिद्धू

निवासी 12/1, सर्वप्रिय विहार

नई दिल्ली।

इसके अलावाः

हरिपुर कलां, परगना परवाड़ून तहसील और जिला देहरादून।

..... अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

श्रीमती रहीम बाई गुड्डी @R.B. गुड्डी चौधरी (मृतक)

पत्नी स्वर्गीय श्री C.L. चौधरी

निवासी 180, जयपुरिया मिल्स

क्लॉक टावर, दिल्ली-110007।

इसके अलावाः

एच-84, फेज-I, अशोक विहार दिल्ली-110052

((कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से)

I. मीना चौधरी शर्मा

पत्नी स्वर्गीय श्री राय कमल शर्मा,

निवासी एच-16, डीडीए फ्लैट, फेज-1 अशोक विहार,

दिल्ली-110052.

ii.आशा चौधरी भट्टाचार्जी,

पत्नी श्री आशीष भट्टाचार्जी,

निवासी एच-84, फेज-1, अशोक विहार दिल्ली-110052

और अन्य …….. उत्तरदाता/वादीगण

श्री सुधांशु धूलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपुल शर्मा

और श्री राजीव बिष्ट (अपीलकर्ता के अधिवक्ता)

श्रीमती मीना चौधरी शर्मा, प्रतिवादी संख्या 1 व्यक्तिगत रूप से, श्री डी.एस. चौधरी और श्री मेनका त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के लिए अधिवक्ता।

A.F.R. (रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत)
रिपोर्टिंग के लिए अनुमोदित नहीं

(माननीय मुख्य न्यायाधीश)

(माननीय श्री न्यायाधीशमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत)

तारीखः10.04.2006

टिप्पणी: जब इसे न्यायाधीश के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाएगा, तो बेंच रीडर इसे निर्णय के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर संलग्न करेगा।

निर्णय सुरक्षित

उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल

प्रथम अपील संख्या 60/२००४

कुलवंत कौर सिद्धू
पुत्री श्री हरबीर सिद्धू
उर्फ़ हरदित्य सिंह सिद्धू
निवासी 12/1, सर्वप्रिय विहार
नई दिल्ली।

<u>इसके अलावाः</u>

हरिपुर कलां, परगना परवादून तहसील और जिला देहरादून।

..... अपीलकर्ता/प्रतिवादी

बनाम

श्रीमती रहिमान बाई गुड्डी
@R.B. गुड्डी चौधरी (मृतक)
पत्नी स्वर्गीय श्री सी.एल. चौधरी
निवासी 180, जयपुरिया मिल्स
क्लॉक टावर, दिल्ली-110007।

<u>इसके अलावाः</u>

एच-84, फेज -I अशोक विहार,

दिल्ली-110052

(कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से).

(i) मीना चौधरी शर्मा

पत्नी स्वर्गीय श्री राय कमल शर्मा,

निवासी एच-16, डीडीए फ्लैट, फेज-I,

अशोक विहार,

दिल्ली-110052।

ii. आशा चौधरी भट्टाचार्जी,

पत्नी श्री आशीष भट्टाचार्जी,

निवासी एच-84, फेज-1, अशोक विहार,

दिल्ली-110052

iii. नरेश लाल चौधरी,

पुत्र स्वर्गीय श्री सी एल चौधरी,

निवासी 294, एसएफएस फ्लैट्स, फेज-IV अशोक विहार,

दिल्ली-110052

iv. राजीव लाल चौधरी,

पुत्र स्वर्गीय श्री C.L. चौधरी,

आर/ओ एच-84, फेज-I, ए शोक विहार,

दिल्ली-110052.

.....उत्तरदाता/ वादीगण

श्री सुधांशु धूलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विपुल शर्मा और श्री राजीव बिष्ट, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्रीमती. मीना चौधरी शर्मा, प्रतिवादी नं 1 व्यक्ति में। श्री डी. एस चौधरी और श्री मेनका त्रिपाठी, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के लिए अधिवक्ता।

कोरमः माननीय राजीव गुप्ता, C.J.
माननीय प्रफुल्ल सी. पंत,J.

माननीय प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायमूर्ति. (मौखिक)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के तहत दायर यह अपील, मूल वाद संख्या 407/ 1996 में दिनांक 20.08.2004 के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जो विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश / फास्ट ट्रैक कोर्ट (I), देहरादून द्वारा पारित किया गया था, जिससे प्रतिवादी/ अपीलकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए उक्त मुकदमे को वादी के पक्ष में डिक्री किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी/उत्तरदाता रहिमन बाई गुड्डी ने उपरोक्त वाद संख्या 407/1996 को इस अभिवचन के साथ संस्थित किया कि वह गांव-हरिपुर कलां, तहसील और जिला-देहरादून में खाता नंबर 186, प्लॉट नंबर 25/3, माप क्षेत्र 0.300 और प्लॉट नंबर 46/11, माप क्षेत्र 0.814 की मालिक थी. आगे यह अभिवचन किया गया है कि वह पूर्वोक्त भूमि की अभिलिखित पट्टा धारक थी, जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में 'अ ' 'ब' 'स' 'द' अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। वर्ष 1969 से 1979 तक उक्त भूमि पर वादी मेसर्स जय केमिकल्स के नाम एवं शैली से एक कारखाना चलाता था, जो कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश की सहायक इकाई थी। उक्त भूमि के पूर्व में, प्रतिवादी ने एक भूखंड खरीदा और अपना घर बनाया।

प्रतिवादी के उपरोक्त भूखंड के दक्षिण में, मुख्य सड़क की ओर जाने के लिए एक ra-sta भूमि है।वर्ष 1996 में, वादी की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, प्रतिवादी ने भूमि के ऊपर पश्चिम की ओर अपना दरवाजा खोल दिया, जिसे 'अ ' 'ब' 'स' 'द' और 'आ' अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है और मिट्टी एकत्र करके, उपरोक्त भूमि की पट्टी पर रास्ता बनाने का प्रयास किया। प्रतिवादी को इस भूमि पर गमन का कोई अधिकार नहीं है।अतः प्रतिवादी/अपीलार्थी के विरुद्ध वादी/प्रतिवादी द्वारा भूमि 'अ' 'ब' 'स' 'द' के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने के लिए के लिए निषेधाज्ञा का वाद स्थापित किया गया था। इसके अलावा, एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई थी कि प्रतिवादी को विवादित भूमि की ओर अपना पश्चिमी दरवाजा बंद कर देना चाहिए।(इस अपील के लंबित रहने के दौरान, वादी की मृत्यु के बाद, उसके कानूनी प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया गया था)।

3. वाद को प्रतिवादी (वर्तमान अपीलकर्ता) द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसने वादी के आरोपों की सामग्री का खंडन करते हुए अपना लिखित बयान दायर किया था।लेकिन लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी ने विवादित भूमि के पूर्व में भूखंड पर अपना घर बनाया है और पश्चिम की ओर एक दरवाजा खोला है।प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त दलीलों में यह भी कहा गया है कि वादी विवादित रास्ते की जमीन का मालिक नहीं है, जिसे वादी के नक्शे में 'अ' 'ब' 'स' 'द' का हिस्सा दिखाया गया है।उसके द्वारा इस बात से इंकार किया जाता है कि वादी नक्शे में 'अ' 'ब' 'स' 'द' के रूप में दर्शाई गई पूरी जमीन का मालिक है और उसके कब्जे में है।आरोप है कि प्लॉट नं. 180 और 181 संयुक्त रूप से एक वेद प्रकाश के साथ प्रतिवादी के स्वामित्व में हैं। यह भी अभिवचन किया गया है कि प्रतिवादी अन्य ग्रामीणों के साथ विवादित भूमि के पूर्व में दिखाए गए भूखंड की खरीद से पहले के समय से विवादित मार्ग

का उपयोग करता है।अंत में, यह दलील दी गई है कि दीवानी अदालत में मुकदमा कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे बनाए:

1. क्या वाद में संपत्ति, जिसमें विवादित मार्ग शामिल है, वादी के स्वामित्व में है और उसके कब्जे में है?

2. क्या मुकदमा कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य नहीं है?

3. वादी किस राहत,, यदि कोई हो, का हकदार है?

साक्ष्य दर्ज करने और पक्षों को सुनने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि वादी विवादित भूमि पर अपने भूमिधारी अधिकार और कब्जे को स्थापित करने में सक्षम रही है औरतद्नुसार प्रतिवादी के विरुद्ध खर्चे सहित वाद का निदेशन करते हुए उसे हिदायत दी कि ग्राम हरिपुर कलां के भूखण्ड संख्या 25/3 एवं 46/11 जिसे सादे मानचित्र में अक्षर 'अ' 'ब' 'स' 'द द्वारा दर्शाया गया है, में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें विचारण न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित भूमि पर रास्ता भूमि का आकार देने के इरादे से एकत्र की गई मिट्टी को हटा दिया जाए, और प्रतिवादी के प्लाट के पश्चिम की ओर खुला दरवाजा 'क' (मैप में दिखाया गया) बंद किया जाए। उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचाराधीन वाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 331 द्वारा वर्जित है, उक्त धारा की उप-धारा (1), निम्नानुसार है: "

"331. इस अधिनियम द्वारा या उससे उपबंधित किए जाने के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची 2 के कॉलम 4 में उल्लिखित न्यायालय के अतिरिक्त कोई न्यायालय, उसके कॉलम 3 में उल्लिखित किसी मुकदमा, आवेदन या कार्यवाहियों या किसी ऐसे मुकदमा, आवेदन या वाद हेतुक जिसके संबंध में किसी ऐसे मुकदमा या आवेदन के माध्यम से कोई राहत प्राप्त की जा सकती है, संज्ञान नहीं लेगा। बशर्ते कि चाहे धारा 143 के तहत किसी होल्डिंग या उसके हिस्से के संबंध में घोषणा की गई हो, अनुसूची II के प्रावधान जहां तक वे सूट, आवेदन या अध्याय VIII के तहत कार्यवाही से संबंधित हैं, ऐसी होल्डिंग या उसके हिस्से पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण-यदि वाद हेतुक वह है जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा राहत दी जा सकती है, तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई राहत उसी के समान नहीं हो सकती है जो राजस्व न्यायालय ने दी होगी।

(1 -क) उप-धारा (1) में कुछ भी होने के बावजूद, एक आपत्ति है कि अनुसूची II के कॉलम 4 में वर्णित एक अदालत, या, जैसा भी मामला हो, एक सिविल कोर्ट जिसका सूट, आवेदन या कार्यवाही के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके संबंध में प्रयोग की गई अधिकारिता पर विचार नहीं किया जाएगा, उसके संबंध में प्रयोग की गई अधिकारिता किसी पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि प्रथम दृष्टया अदालत में यथाशीघ्र संभावित मौके पर आपत्ति नहीं ली गई हो और ऐसे सभी मामलों में जहां मामले का निपटारा हो गया हो, पर या इस तरह के समझौते से पहले, और जब तक कि न्याय की विफलता न हो, "

उपरोक्त प्रावधान, यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के तहत उपलब्ध उपाय के संबंध में मुकदमा राजस्व न्यायालय के समक्ष था अन्य न्यायालयों द्वारा मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निषेधाज्ञा का उपाय राजस्व न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद संख्या 2 को वादी के पक्ष में इस आधार पर विनिश्चित किया कि राजस्व न्यायालय के समक्ष निषेधाज्ञा की राहत उपलब्ध नहीं थी।अपीलकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि निषेधाज्ञा के रंग के तहत, एक उपाय जो राजस्व न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था, सिविल न्यायालय से नहीं मांगा जा सकता है।अपीलकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि वादी का अधिका प्रतिवादी द्वारा विवादित है, इस प्रकार, अधिका का प्रश्न जो राजस्व न्यायालय से घोषित किया जा सकता है, उसे दीवानी न्यायालय से निषेधाज्ञा राहत मांग कर घोषित नहीं किया जा सकता है। यदि वादी उस भूमि के संबंध में रिकॉर्ड धारक नहीं होती जिसके लिए उसने निषेधाज्ञा से राहत मांगी है, तो अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क स्वीकार किया जा सकता है।लेकिन वाद के पैरा-1 में ही, वादी ने आरोप लगाया है कि वह एक दर्ज पटटेदार है और भूखंड संख्या 25/3 और 46/11 की भूमि के कब्जे में है, जिसे मानचित्र में अक्षर 'अ ' 'ब' 'स'' द के साथ दिखाया गया है। उक्त याचिका के समर्थन में वादी द्वारा गवाहों का मौखिक परीक्षण कराने के अतिरिक्त राजस्व पत्रों-खसरा एवं खतौनी की प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने निषेधाज्ञा के हड़पने के तहत अधिकार की घोषणा की मांग की है।

7. **राम अवलंभ बनाम जटा शंकर और अन्य 1968 राजस्व निर्णय 470 (पूर्ण पीठ) में**, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां वादी एक रिकॉर्ड धारक नहीं है और निषेधाज्ञा की राहत चाहता है, तो यह

कहा जा सकता है कि वह अधिकार की घोषणा की मांग कर रहा है, लेकिन जहां वह एक रिकॉर्ड धारक है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कृषि भूमि के संबंध में निषेधाज्ञा की राहत देने के लिए मुकदमा दीवानी अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

8. अपीलकर्ता की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी भी वेद प्रकाश के साथ खसरा संख्या-180 और 181 भूमि के संबंध में एक रिकॉर्ड धारक है।आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी भूखंड संख्या 184 के संबंध में भी रिकॉर्ड धारक है।लिखित बयान के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा यह कहीं नहीं कहा गया है कि वाद में भूमि खसरा नंबर 180,181 या 184 पर स्थित है।यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी की भूमि वादी की भूमि के पूर्व में स्थित है।वाद में शामिल प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी ने अपने भूखंड के पश्चिम की ओर अपना दरवाजा खोलकर भूमि की विवादित पट्टी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसे 'कथित रास्ता' के रूप में राजमार्ग की ओर दिखाया गया है (भूमि के पश्चिम में नक्शे में दिखाया गया है 'अ ' ब'' स'' द') और वादी प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा का हकदार है। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, वादी द्वारा राजस्व न्यायालय में निषेधाज्ञा का कोई उपाय नहीं मांगा जा सकता था।इस प्रकार, चूंकि वादी ने एक मामला पेश किया है कि प्रतिवादी उस भूमि के एक हिस्से का उपयोग करने का प्रयास कर रहा है, जिसका वादी रिकॉर्ड धारक है और और उसके कब्जे में है, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मुकदमा यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 331 द्वारा वर्जित है।

9. श्री सुधांशु धूलिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता, ने इस न्यायालय का ध्यान चंद्रिका सिंह बनाम राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह (1992) 3

एस.सी.सी पृष्ठ 90 में निर्धारित कानून के सिद्धांत की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि भूमि के उपयोग के विवाद के संबंध में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि क्या यह कृषि भूमि है या नहीं? उक्त मामले के कानून को देखने पर, हमारा विचार है कि यह वर्तमान मामले में इस कारण से लागू नहीं होता है कि चंद्रिका सिंह (पूर्वोक्त) के उक्त मामले में, प्रतिवादी वाद में भूमि पर एक रिकॉर्डेड किरायेदारी धारक था, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि उपयोगकर्ता के बारे में विमुकदमा राजस्व अदालत द्वारा निर्धारित किया जा सकता था।वर्तमान मामले में, यह वादी है जिसने दलील दी है और यह स्थापित किया है कि वह एक रिकॉर्ड धारक है और साथ ही मुकदमे में भूमि का कब्जाधारक भी है।

10. हमारा ध्यान कमला शंकर बनाम तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, 1998 (89) आर.डी पृष्ठ 484 में प्रतिवेदित केस कानून की ओर भी आकर्षित किया गया है, उक्त मामले में भी प्रतिवादी उस भूमि का रिकॉर्ड धारक था जिसके संबंध में वादी ने राहत की मांग की है। इस प्रकार, उक्त मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में सैयद मुहम्मद मशूर कुन्ही बनाम बडागरा जुमायत पल्ली (2004) 7 उच्चतम न्यायालय के मामले 708 में, प्रति वादी/अपीलार्थी की ओर से भरोसा करने से भी उसकी सहायता नहीं होती है क्योंकि उक्त मामले के विपरीत, वादी वर्तमान मामले में अपने मामले को अपने दम पर साबित करने में सफल रही है, न कि प्रतिवादी के मामले में पाई गई कमजोरी पर।

11. अंत में, अपीलकर्ता की ओर से हमारा ध्यान **हीरा बनाम सिविल जज, ज्ञानपुर, वाराणसी (1993) इलाहाबाद सिविल जर्नल पृष्ठ 57** की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि राजस्व अदालत निषेधाज्ञा जारी

कर सकती थी।उक्त मामले के कानून को देखने पर हमने पाया कि ज्ञानपुर में स्थित भूमि के 1973 के सिविल सूट से संबंधित है, जिस पर बनारस काश्तकारी अधिनियम, 1949 लागू था। और धारा 153 और बनारस काश्तकारी अधिनियम के तहत, यह पाया गया कि राजस्व अदालत निषेधाज्ञा जारी कर सकती थी। वर्तमान मामले में, भूमि बनारस काश्तकारी अधिनियम, 1949 के अंतर्गत नहीं आती है, न ही यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में कोई समानांतर प्रावधान है।

12. हम विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि वादी न केवल दस्तावेजी साक्ष्यों अर्थात विक्रय विलेख दिनांक 10.10.1968 (Exh.- 4) और विक्रय विलेख दिनांक 01.01.1965 (Exh.-3) और विक्रय विलेख दिनांक 19.10.1965 (Exh.- 5) और राजस्व अभिलेख-प्लॉट नंबर 25/3 के खसरा और खौतानी माप 0.300 और प्लॉट नंबर 46/11 माप 0.514, बल्कि वादी की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य से भी, जिसमें राजस्व अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट-पेपर संख्या 35-ए भी वादी के मामले का समर्थन करती है जिसमें विवादित रास्ता भूमि को लाल रंग से दिखाया गया है, जो कि वादी द्वारा खरीदी गई भूमि का हिस्सा है।आयुक्त द्वारा तैयार किए गए मानचित्र से यह स्पष्ट है कि विवादित क्षेत्र के दोनों ओर आधा किलोमीटर है।भूमि की पट्टी, जिसका कथित रूप से प्रतिवादी द्वारा रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रतिवादी की भूमि से किसी भी तरफ से संलग्न नहीं है, सिवाय उस बिंदु के जहां प्रतिवादी द्वारा पश्चिम की ओर एक नया द्वार खोला गया है।आयुक्त द्वारा तैयार किया गया नक्शा आगे दर्शाता है कि प्रतिवादी और अन्य ग्रामीणों के उपयोग के लिए अलग-अलग 13 फीट चौड़ी रास्ता भूमि है, जिसका प्रारम्भ प्रतिवादी की भूमि के दक्षिण की ओर है और कहा

कि रास्ता भूमि भी मुख्य हरिद्वार-ऋषिकेश रोड तक पहुंचने का एक रास्ता है। हम निचली अदालत के इस तर्क से सहमत हैं कि अगर प्रतिवादी ने आधा किमी खरीदा है तो यह रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य से स्थापित नहीं होता है। रास्ता भूमि की भूमि पट्टी (उनके नए खोले गए पश्चिमी द्वार से मुख्य हरिद्वार-ऋषिकेश रोड तक)।लिखित बयान में, प्रतिवादी ने स्वयं एक अस्पष्ट याचिका दायर की है कि विवादित मार्ग का उपयोग प्रतिवादी द्वारा अपने पूर्ववर्ती के समय से किया जा रहा था, जिनसे उसने अपने स्वामित्व वाला भूखंड खरीदा था।इस संबंध में, हमारी राय में, वादी के साक्ष्य को सही माना गया है कि चूंकि वह दिल्ली में रह रही थी और उसकी संपत्ति की देखभाल उसका नौकर कर रहा था, उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, प्रतिवादी ने भूमि मालिक के विवादित हिस्से को रास्ता भूमि के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने शिकायत के मानचित्र में दिखाए गए बिंदु 'क' पर एक दरवाजा खोला है।

13. ऊपर चर्चा किए गए कारणों को देखते हुए, हम अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज किया जा सकता है।याचिका खारिज की जाती है।आदेश की कोई लागत नहीं ।

(प्रफुल्ल सी. पंत, न्यायाधीश) (राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक 10 अप्रैल, 2006